73

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 792-तीन/2009 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 4-6-2009 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 1083/2005-06 अपील

श्रीमती माया पत्नि स्व. अनन्ता कुशवाहा
ग्राम मचखड़ा तहसील मझगवां, जिला सतना ---आवेदक

विरूद्ध

1- रामलाल 2- हीरालाल
3- लल्ली पुत्रगण गोविन्द कुशवाह
ग्राम ग्राम मचखड़ा तहसील मझगवां, जिला सतना
4- कुमारे 5- लल्ला 6- रामसजीवन
तीनों पुत्रगण वुद्धा कुशवाह
7- रघुराई पुत्र बंटा कुशवाह
ग्राम मचखड़ा तहसील मझगवां, जिला सतना ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 07-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 1083/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-6-2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की, कि मौजा विहरिया की भूमि सर्वे कमांक 308 ब/2 ब रकबा 1.08 एकड़ के हिस्सा 1/2 अर्थात 0.54 डिस. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर उसका वारिसाना नामान्तरण किया जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 74 अ-6/98-99 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 26-2-2002 पारित करके आवेदक का हिस्सा 1/2 पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मझगवां / रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 180/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2006 से अपील अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील कमांक 1083/2005-06 प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1083/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-6-2009 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 26-2-2002 से आवेदक का नामान्तरण किया है , जबकि अपर आयुक्त व्दारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों आये तथ्यों के विवेचन पर पाया है कि आवेदक महिला माया पत्नि स्व. अनन्ता कुशवाहा का वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण का हक किन आधारों पर उत्पन्न हुआ है प्रकरण में आई साक्ष्य एंव दस्तावेजों से प्रकट नहीं है। नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा के प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह भी पाई गई है कि आवेदक ने सर्वे नंबर 308 ब के सम्बन्ध में नामांत्रण आवेदन न देते हुये 308/2 क वावत् आवेदन दिया है। पटवारी ने वादग्रस्त भूमि पर गोविन्दा के वारिस लाला, हीरा व लल्ली

एंव महिला माया काछी को बताया है जबकि महिला माया सतना की निवासी है। प्रकरण में आये तथ्यों से यह भी परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि पर कुआ व मकान बनाकर अनावेदकों का निवास है परन्तु तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 26-2-2002 में उक्त तथ्यों को अनदेखा करके आवेदक का नामान्तरण किया है और इन्हीं तथ्यों पर अनुविभागीय अधिकारी ने भी विचार नहीं किया है, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 4-6-2009 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करके हितबद्ध पक्षकारों की साक्ष्य एंव सुनवाई के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है । आवेदक जो अनुतोष इस न्यायालय से चाहती है, अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश के क्रम में आवेदक एंव अनावेदक के पास तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने एंव दावा प्रमाणित करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 4-6-2009 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 1083/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-6-2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर